

TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT:DELHI)
5, SHAM NATH MARG, DELHI


No.F.2-V(108)/Rev.Estt./ 2272

N.Delhi the 28 / 10 / 2013

NOTIFICATION

No.F.2-V(108)/Rev.Estt./- In exercise of the powers conferred by section 3 of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11030/S/76/UTL dated 24th February, 1977, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Director(Education), Director (Public Premises), Director(Tax), Director(Welfare) and Deputy Law Officer of New Delhi Municipal Council being Gazetted Officers of the Government to be Estate Officers for the purposes of the said Act. The said officers shall exercise all the powers conferred upon them and perform all the duties consigned to the Estate Officers under the said Act within the local limits of their jurisdiction in respect of public premises belonging to New Delhi Municipal Council, Delhi.

**BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**


(MOHAMMED A ABID)
Addl. Secretary (Revenue)

No.F.2-V(108)/Rev.Estt./ 2272

N.Delhi the 28 / 10 / 2013

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in Part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette
2. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
3. Dy. Director(Estt.), Secretary's Estt. Branch, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
4. Pr. Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs Department), Govt. of NCT Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. Legislative Council, Law, justice & Legislative Affairs Department, Delhi Secretariat New Delhi.
6. Officers concerned through Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
7. The System Analyst with the request to upload the notification on the website of this department
8. P.A. to Pr. Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.
9. P.A. to Addl. Secretary (Revenue), GNCT of Delhi.
10. Guard file.


(ASHOK KUMAR SHARMA)
Sub Divisional Magistrate-IV (HQ)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग - IV - में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
राजस्व विभाग
5,शामनाथ मार्ग, दिल्ली


संख्या.एफ. 2V(108)/राज0-स्था0/ 2272

दिनांक 28/10/2013

अधिसूचना

संख्या.एफ. 2V(108)/राज0-स्था0/- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 फरवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या यू0 11030/एस/76-यूटीएल के साथ पठित सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल, नई दिल्ली नगर परिषद के निदेशक (शिक्षा) निदेशक (सरकारी स्थान) निदेशक (कल्याण) और उपविधि अधिकारी सरकार के राजपत्रित अधिकारी, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त अधिकारी नई दिल्ली नगर परिषद नई दिल्ली से सम्बन्धित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को सौंपी गई सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गए सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,



(मुहम्मद ऐ. आबिद)
अतिरिक्त सचिव (राजस्व)

संख्या.एफ. 2V(108)/राज0-स्था0/ 2272

दिनांक 28/10/2013

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. उप सचिव (सा. प्र. वि.) (समन्वय), दिल्ली सरकार को, अंग्रेजी तथा हिन्दी की दो दो प्रतियां दिल्ली राजपत्र भाग -4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. सचिव, नई दिल्ली नगर निगम परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
3. उप सचिव (स्थापना) सचिव की स्थापना शाखा, नई दिल्ली नगर परिषद पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य) दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
5. विधायी परिषद, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
6. सम्बन्धित अधिकारी के सचिव, नई दिल्ली नगर परिषद के माध्यम से।
7. सिस्टम विश्लेषक को इस विभाग की वेबसाइट पर अधिसूचना को अपलोड करने के अनुरोध सहित।
8. प्रधान सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली सरकार के निजी सचिव को।
9. अतिरिक्त सचिव (राजस्व) दिल्ली सरकार के निजी सचिव को।
10. गार्ड फाईल।


(अशोक कुमार शर्मा)
उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-IV)